© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

''घरेलू–हिंसा'' पर वैश्वीकरण का प्रभाव (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 हेमलता,
ऑडिटर,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश – घरेलू हिंसा, ऐसा कोई कार्य या हरकत या ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक कार्य जो किसी महिला या बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन को खतरा, संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान सति जो असहनीय है तथा उससे महिला व बच्चे दुःखी एवं अपमानित होते हैं इसके तहत शारीरिक हिंसा. मौखिक व भावनात्मक हिंसा लैंगिक व आर्थिक हिंसा या धमकी देना आदि शामिल है। महिलाओं के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से रंग–भेद या अन्य किसी भी कारण से किया गया असहनीय व्यवहार घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण सन 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। यह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही महिला बाल विकास द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे देश में बालिकाओं में शिक्षा का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। आज ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा तथा कमजोर मनोबल पाया जाता है भारतीय समाज में घरेलू हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता–पिता, भाई–बहन, सास–ससुर, ननद–भाभी या परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है जो नारी को शारीरिक, मानसिक आघात पहुंचा है। महिलाओं को शारीरिक मानसिक व मौखिक इत्यादि प्रताडित किये जाने वाला कार्य घरेलू हिंसा कहलाता है। महिलाओं को आज अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है विधवाओं को अनेक अधिकारों से वचित रखा जाता है उन्हे अनेक प्रकार के कश्ट दिये जाते हैं। यहा तक कि दहेज को लेकर नारी को जिन्दा जला दिया जाता है।

वैश्वीकरण के दौर में नारी की मुश्किलें बढ़ी है। बढ़ते मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा, कम वेतन, परंपरागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्त, उनके समक्ष हमारे कानूनों की असमर्थता बढ़ता भ्रष्टाचार, ये परिस्थितियां औरत को न्याय दिलाने में असमर्थ है वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाए निर्धानता एवं भेदभाव का शिकार हो रही है। एक ही तरह के काम में पुरुष और महिला में भेदभाव किया जा रहा है दोनों के वेतन में भिन्नता है आज भी महिलाएं अशिक्षा, कुपोषण और निर्धनता का शिकार हो रही है आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधो उत्पादन से जोड़ा जाए। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिश्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में सहायक होता है। इसी कारण से पुरुष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई।

मुख्य शब्द :– घरेलू हिंसा. अत्याचार, वैश्वीकरण पारिवारिक संबंध।

अवधारणात्मक विवेचना :– एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार/ एकल परिवार के पारिवारिक सदस्य जो समग्रता/ संगोत्रता/दत्तक/विवाह द्वारा बनाए गए रिश्ते के रूप में रह रहे या रह चुके महिला एवं बच्चे जो (18 वर्ष या उनमें कम उम्र के हो) किसी भी महिला का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न या शोषण करना क्षति पहुंचान, जबरदस्ती, अपमान, आरोप लगाना, मार–पीट, दबाव, धमकी इत्यादि महिला हिंसा कि श्रेणी में आता है। यदि यही व्यवहार पारिवारिक सदस्यों नातेदारों पति पुरुष महिला वर्ग द्वारा तथा कार्यालयीन परिवारों के सदस्यों (क्योंकि ये

भी एक तरह का परिवार होता है) द्वारा किया जाय तो इसे घरेलू हिंसा कहते है। ज्यादातर घरेलू हिंसा महिलाओं के पक्ष में ही होती है तथा वृद्ध और बच्चे भी इसमें शामिल होते जा रहे है।

1. किसी भी महिला को कमजोर समझकर या उसे डराने धमकाने या उसका अनुचित लाभ उठाने के लिए कि गई हिंसा को महिला हिंसा कि श्रेणी में रखा गया है।

2 यह वो हिंसा है जिसका सामना केवल महिलाओं को घर, परिवार समाज में करना पड़ता है।

3 यह दण्डनीय अपराध है।

इसके कारण है पुरुष प्रधान समाज, पुरुष अहंकार, सामाजिक तनाव, लालच इत्यादि ।

भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है, उसे गृह लक्ष्मी के रूप में सम्बोधित किया गया है पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी, सहचारिणी, धर्मपत्नी कहा जाता है। पत्नी के अभाव में पति द्वारा किये गये कार्य निश्फल समझे जाते हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी का भरण पोशण करेगा, उससे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा, किन्तु अनेक स्त्रियों के प्रति घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है उन्हें लातों, घूसों, चाटों व लकड़ियों (डण्डो) से मारा जाता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है, जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है। आज शनैः शनैः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोग माना जाने लगा है, परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी विचारधाराओं, परम्परागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे है। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा का फैलाव और महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद बलात्कार किया जाता है उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है।

पिछले कुछ दशकों में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा (अथवा हिंसात्मक अपराध) की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है तथा यह समाज वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों, समाज–सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। सही भी है क्योंकि नारी कौ सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों ने नारी को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है तथा यहा तक कि उसकै साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि के प्रति वस्तु चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे है। अपराध कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है, अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करना, भूखा–प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना, निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहें जाएंगे पूरे देश में नारियों के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है एक वर्ष राज्यसभा में सरकार द्वारा केवल दिल्ली के बारे में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि उनके प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है।

भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े जो क्राइम इन इण्डिया में प्रकाशित किये जाते है। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि होती जा रही है। भारतीय सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संगठन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े जो 'क्राइम इन इण्डिया' में प्रकाशित किये जाते हैं। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि होती जा रही है। राम आहूजा ने नारी के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है– (अ)

अपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक हिंसा। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा नारी के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी में परिवारों में नारी के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है। दहेज हत्याएँ, पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की है, जिसमें पत्नी/बहू को श्रूण–हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को श्सतीश के लिए विवश करने, नारियों की सम्पत्ति में हिस्सा न देने. बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा की यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जा सकता है।

महिलाओं के विरूद्ध घर और बाहर बढ़ती हिंसा, सरकार और समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के आंकड़े और प्रशासन की उनके बारे में कार्यवाही भी निरंतर चर्चा में हैं इनकी रोकथाम और पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए सबसे पहली आवश्यकता न केवल कानून और प्रशासकीय व्यवस्था की है, बल्कि महिलाओं को ऐसी कानून व्यवस्था और सहायता सेवा देने वाली संस्थाओं की जानकारी देने की है। महिलाओं की समस्याएं समाज में भिन्न है, भारतीय समाज में महिलाएँ शिक्षित एवं अशिक्षित दोनो प्रकार की है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य न केवल पति–पत्नी अपितु परिवार के समस्त सदस्यों के व्यवहार के द्वारा उत्पन्न होता है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु सहायता प्रदान की गई है। भारतीय समाज तीन वर्गों में विभक्त है – उच्च वर्ग मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग। फलस्वरूप तीनों वर्गों की महिलाओं की समस्याएँ अपने वर्ग विशेष पर निर्भर करती है। भारतीय समाज में महिला–पुरुष दोनो को समान दर्जा प्राप्त है। फिर भी पढ़ी लिखी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है और न स्वय महिला खुद को बराबर समझने की मानसिकता बना पाई है। टूटते संयुक्त परिवारों युगल जोड़े परंपरागत बंधन तोड़कर परिवार सीमित दायरे होकर घर से बाहर निकले और दोनो काम करने लगे जिससे सबसे बड़ा परिवर्तन आया महिलाओं समाज मानसिकता बदलाव। पहले काम करने वाली महिलाओं हीन दृष्टि देखा जाता था, लेकिन आज परिस्थितवश मध्यमवर्गीय लोगों का नजरिया बदलने लगा है।

भारत वर्ष कि संपूर्ण जनसंख्या महिलाएँ प्रतिशत 78 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण अंचलों रहती प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। 75.18 प्रतिशत महिलाओं का विकास करते उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा जोड़ने भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। जिनमें श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास, समाज के कमजोर वर्ग महिलाओं प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें दीर्घ कालीन आधार रोजगार के योजना एवं आय उत्पादक इकाइयों की स्थापना करने वाली परियोजनाएँ, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अल्प अवधि के आवास गृह, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, महिलाओं प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रमुख रूप से कार्यक्रम प्रमुख उल्लेखनीय है।

वैश्वीकरण एक तरह से आर्थिक सीमाओं का समापन है। विभिन्न देशों नई आर्थिक नीतियों वैश्वीकरण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। 1991 में भारत में जो प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से जनता के विविध क्षेत्र प्रभावित हुए जीवन जुड़े वैश्वीकरण शिकार विकासोन्मुख देश है, जो ऋण के बोझ तले दबे वैश्विक व्यवस्था बढ़ती आय विभिन्नता असमानता गरीबों असहाय बना दिया महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका पर वैश्वीकरण प्रभाव पड़ा है। मानव विकास विश्लेषण होता है कि वैश्वीकरण ने विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन किया है। उदाहरण के लिए विश्व में भारत लिंग अनुपात पर एक महिला स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उपयोग कर पाती है। ज्यादातर महिलाएं असंगठित संस्थाओं करती और नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं घातक महिलाओं का इस व्यवस्था में सदियों से शोषण होता आ रहा है। इसके अलावा कार्य करती महिलाओं जीवन तरह खराब पोषाहार स्वास्थ्य में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ इस तरह महिलाएं दोहरी शोषण शिकार हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश हर वर्ष डेढ़ करोड़ लड़कियां जन्म लेती हैं जिनमें पच्चीस 15 वर्ष की उम्र पहले ही मर जाती हैं। इन लड़कियों की मौत का कारण समाज महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार है।

वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उद्योगों में विदेशी विनियोग में वृध्दि तो होती है, पर रोजगार में वृध्दि नही होती। उदा. के लिए महिलाओं की बेरोजगारी 1991–91 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1995–94 में 5.5 प्रतिशत हो गई थी. जो आज भी जारी है। अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था असंगठित क्षेत्र में की गई जहाँ रोजगार में असुरक्षित होना तथा निम्न मजदूरी देना तय है। उद्योग धन्धो में महिला श्रमिकों की मांग श्रम की कार्यक्षमता और कार्य की आवश्यकता के अनुकूल की जाती है। इससे स्पष्ट है कि महिला कर्मियों के रोजगार में स्थायित्व नहीं होता। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ वांछित अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है। महिलाओं के घरेलू कार्यों को कार्य की श्रेणी में नहीं माना जाता है महिलाओं के कार्य को कार्य की संज्ञा तभी दी जाती है। जब वे बाहर जाकर कुछ कार्य करती हों व उसके बदले धान पाती हों।

सामान्य प्राकृतिक स्रोतों का निजीकरण पर्यावरण के लगातार –हास के लिए जिम्मेदार है, साथ ही ऐसी महिलाओं को जीवन की आवश्यकताओं को भी जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जिनका जीवन प्राकृतिक स्रोतों से जुड़ा है। भारतीय प्राकृतिक स्रोतों का वैश्विक शोषण के लिए मुक्त कर देना कई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है। उपभोक्तावाद, हिंसा तथा स्वच्छंद यौन व्यवहार आदि का समाज व महिलाओं पर घातक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं पर बढ़ती हुई घरेलू हिंसा भी चिंतनीय है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध उनकी स्थिति को और भयानक बना रहा है गृह मंत्रालय के क्राइम रिकार्ड ब्यूरो को यदि सच माना जाय तो प्रत्येक 47 मिनट पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है या अपहरण होता है। पति या निकट संबंधी द्वारा महिलाओं की हत्या या यौन शोषण होना आम बात हो गई है। दहेज के कारण 17 महिलाएं रोज मरती हैं। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, बावजूद महिलाओं का अवमूल्यन करता है।

इस तरह वैश्वीकरण जहां विकासशील देशों के विकास को सुनिश्चित करता है, वहीं समाज की आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अधिक उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है। इससे महिलाओं का निरंतर– हास तथा उत्पीड़न हुआ है। अतः वैश्वीकरण जहाँ कुछ महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, वहीं कुछ की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

शोध का उद्देश्य एवं उपयोगिता :

भारतीय समाज में हो रही घरेलू हिंसा की घटना एक प्रमुख समस्या है इस समस्या के समाधान हेतु सरकार स्वयं प्रयत्नशील है इस संबंध में अधिक सुविधापूर्वक तरीके से जनमत को जानने हेतु सरकार, देश की उच्च शिक्षित संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना चाहती है तथा प्राप्त भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाएं भी महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा के कारणों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, दहेज, वैश्यावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या आदि कारणों के पक्षो को जानने एवं समाधान के लिए सभी पक्षों का विश्लेषण करना होगा। इन उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किया गया है।

1. घरेलू हिंसा का वर्तमान संदर्भ में अवधारणात्मक निरूपण करना।
2. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3 स्त्रियों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
4. स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निरर्भता को कम करना।

5 स्त्रियों में बढ़ती हुई वैश्यावृत्ति पर रोक लगाना।
6 स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करना।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

दया नामदेव (2015)

अपने लघुशोध ''मलिन बस्तियों की महिलाओं में घरेलू हिंसा का कारण और निवारण'' में मलिन बस्तियों में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं तथा उनकी कई सारी परेशानियाँ हैं तथा उनकी कई समस्याएँ भी हैं इन महिलाओं के घरेलू हिंसा के कारण कई हैं जैसे– सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण तथा इनमें मनोरंजन के साधनों का अभाव भी पाया जाता है।

जिसकी वजह से ये पुरूष वर्ग खाली बैठते हैं तथा खाली बैठने से वह शराब पीते हैं और शराब पीने कि वजह से अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तथा उन्हें भला–बुरा कहते हैं।

विकास मिश्रा (2015)

अपने लघुशोध **''कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन–रीवा जिले के विशेष संदर्भ में''** घरेलू कामकाजी महिलाओं से हमारा तात्पर्य उन महिलाओं से है जो कि अर्थ उपार्जन हेतु सुबह से शाम तक एक घर या कुछ अधिक घरों में घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोंछा या घरा के अन्य छोटे–मोटे कार्य करती है। परंतु जहाँ तक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में महिला व पुरूष के बीच कोई अंतर प्रतीत नहीं होता क्योंकि महत्व इसका नहीं है कि कौन कार्य कर रहा है। अपितु महत्वपूर्ण यह है कि, कौन कार्य कैसा कर रहा है और इसी के आधार पर पुरूष व नारी के बीच भेद कर सकते है कि, पुरूष जहाँ घर के बाहर शारीरिक व मानसिक श्रम करता है वहीं स्त्री घर में रहकर परिवार संभालती है तथा समय बचने पर घर में तथा घर के बाहर हल्का कार्य करती है। कभी–कभी उन्हें परिस्थितिवश भी कार्य करना पड़ता है, जिसमें कभी–कभी तो वह हल्का कार्य करती है तो कभी पुरूष के समान भारी कार्य करती है वैसे भी आज के युग में नारी तथा पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है क्योंकि आज की स्त्री वे सभी कार्य करने लगी है जिने पर पुरूष का एकक्षत्र अधिकार होता था।

स्वाती शुक्ला (2018)

इन्होने अपने शोध पत्र **''रीवा जिले में घरेलू हिंसा–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''** भारतीय समाज में हो रही घरेलू हिंसा की घटना एक प्रमुख समस्या इस समस्या के समाधान हेतु सरकार स्वयं प्रयत्नशील है। इस संबंध में अधिक सुविधापूर्वक तरीके से जनमत को जानने हेतु सरकार, देश की उच्च शिक्षित संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना चाहती है तथा प्राप्त भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। इसके अलावा गैरसरकारी संस्थाएँ भी महिलाओं पर रही घरेलू हिंसा के कारणों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, दहेज, वैश्यावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या आदि कारणों के पक्षो को जानने एवं समाधान के लिए सभी पक्षों का विश्लेषण करना होगा। इन उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किया गया।

शोध प्रविधि :

ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है। शोध कार्य में भारतीय समाज में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है प्राथमिक आकडे स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े घरेलू हिंसा संबंधित विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

उपकल्पना का निर्माण :

चिंतन और जिज्ञासा मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं और इसके वैज्ञानिक आधार केन्द्र बिन्दु भी है उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान की प्रथम सीढी है। अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के कारणों समस्याओं के समाधान एवं परिणाम के बारे में हम जो एक निश्चित रूपरेखा बना लेते हैं उसे ही परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में परीक्षण के लिए निम्न उपकल्पनाओं का पालन किया गया है।

1. समाज में दहेज प्रथा घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है।
2. घरेलू हिंसा में अत्यधिक वृद्धि का कारण स्त्रियों की शिक्षा में व्यवधान।
3. स्त्रियों की पुरूशों पर आर्थिक निर्भरता घरेलू हिंसा को बढावा देती है।
4. घरेलू हिंसा के लिये पारिवारिक तनावधविघटन जिम्मेदार है।
5. महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा को समाज में प्रचलित कुप्रथायें बढ़ावा देती हैं।
6. समाज मे आज भी पुरूषों की प्रधानता है।

अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन रीवा नगर के संबंध में है जिसकी कुल जनसंख्या 235634 है, जिसमें से 1000 पुरुषों के अनुपात में 940 महिलाएँ है। रीवा नगर की 50 महिलाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन :

अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सांख्यकीय विश्लेषण किया गय है–

1. परिवार का स्वरूप :

तालिका–1

क्र.	परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	संयुक्त	20	40%
2.	एकल	30	60%
	योग	**50**	**100%**

उपर्युक्त तालिका के विवेचना से स्पष्ट है कि 60 लोग एकांकी परिवार में रह रहे हैं, तथा संयुक्त परिवारों की संख्या 40प्रतिशत है।

2. परिवार में महिलाओं के प्रति व्यवहार की प्रवृत्ति :

तालिका–2

क्र.	महिलाओं के प्रति व्यवहार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अच्छा	22	44%
2.	बुरा	28	56%
	योग	**50**	**100%**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 44 महिलाओं ने बताया कि परिवार के सदस्यों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जबकि 56प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि परिवार के सदस्यों के द्वारा उनसे बुरा व्यवहार किया जाता है।

3. सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति कैसी है:–

क्र.	महिलाओं की वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	30	60%
2.	अविवाहित	15	30%
3.	विधवा	5	10%
	योग	**50**	**100%**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित तथा 10 प्रतिशत महिलाएँ विधवा की श्रेणी में जीवन यापन कर रही है।

4. सूचनादाताओं की आर्थिक स्थिति कैसी है–

तालिका

क्र.	आर्थिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अच्छी	23	46%
2.	बुरी	15	30%
3.	सामान्य	12	24%
	योग	**50**	**100%**

उपर्युक्त तालिका का विवेचना करने से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में परिवारों की आर्थिक स्थिति में 46प्रतिशत अच्छी, 30 प्रतिशत बुरी तथा 24 प्रतिशत सामान्य आर्थिक स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

5. पति या परिवार द्वारा घरेलू हिंसात्मक व्यवहार की औसत आवृत्ति :

तालिका–5

क्र.	स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हमेशा उत्पीड़न	12	24%
2.	सप्ताह में 1 या 2 बार	15	30%
3.	कभी–कभार	23	46%
	योग	**50**	**100%**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में 24प्रतिशत महिलाएं प्रतिदिन उत्पीड़ित होती है, 30 प्रतिशत महिलाएँ सप्ताह में 1 या 2 बार पति एवं परिवार के द्वारा हिंसा की शिकार होती है तथा 46 प्रतिशत महिलाओं पर कभी कभार पारिवारिक तौर पर घरेलू हिंसात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

6. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी द्वारा आपसे निम्न में से किस तरह से हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है–

तालिका–6

क्र.	स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मारना–पीटना	15	30%
2.	व्यंग्य करना	10	20%
3.	गाली देना	25	50%
	योग	**50**	**100%**

उपुर्यक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में 30प्रतिशत महिलाएँ शारीरिक हिंसा (मारना–पीटना) की शिकार होती है। 20 प्रतिशत महिलाओं को व्यंग्यात्मक हिंसा (मानसिक तौर पर) एवं 50 प्रतिशत महिलाओं को गाली गलौज के रूप में प्रताड़ित किया जाता है।

निष्कर्ष :

वैश्वीकरण के कारण घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की धार्मिक परम्पराओं और कुछ परिवर्तन हो गया है। शोध विषय के संदर्भ में अध्ययन करने के उपरान्त शोधकर्ता द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया है कि भारतीय समाज में रहने वाली महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु सहायता प्रदान की गई है, क्योंकि शासन द्वारा भारतीय समाज के विकास एवं कल्याण समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व लालच कारण इन योजनाओं का समय पर मूल्यांकन नहीं किया गया। वर्तमान परिस्थिति को देखने से पता चलता कि इनकी उनके विकास की आवश्यकता महिलाएँ शोषण, हिंसा अपराध के प्रति जागरूक स्थिति दयनीय है जिसमें सुधार व उनके विकास की आवश्यकता है। महिलाएँ शोषण, हिंसा व अपराध के प्रति जागरूक हो रही है। पर्दा–प्रथा में भी कमी आई है। दोहरी भूमिका के साथ–साथ वे बच्चों और परिवारों के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं।

सुझाव :

घरेलू हिंसा गंभीर चिंता का विशय बनता जा रहा है इस समस्या से निजात पाने के लिए शोधकर्ता ने अध्ययन के बाद निम्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

1. घरेलू हिंसा को रोकने लिए सरकार द्वारा पीडित महिलाओं के आश्रय की व्यवस्था जानी चाहिये।
2. महिलाओं को शिक्षित करने लिए शिक्षा 3 महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के की व्यवस्था करनी चाहिये।
3. महिलाओं को रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने चाहिए. ताकि स्वावलम्बी बन सकें।

4. हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ अपने ऊपर हो हिंसा के खिलाफ अपील कर सके।
5. हिंसा से पीडित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये तथा उचित परामर्श देने लिए स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना की जानी चाहिये।
6. महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये, ताकि उन्हें सबक मिल सके।
7. महिला उत्पीड़न को रोकने के लिये माता–पिता विचारों में परिवर्तन लाना होगा. इस धारणा परिवर्तन लाना होगा कि पति घर से डोली जाती है, तो अर्थी भी वही से उठती है।
8. महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिये कानून आर्थिक मदद देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिये अधिक से अधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. अन्सारी, डॉ. एमए (1990)– नारी चेतना और अपराध पंचशील प्रकाशन जयपुर
2. शर्मा, डॉ एम के (2010) – भारतीय समाज में नारी पब्लिशिंग हाउस दिल्ली ।
3. सिंह डॉ निशात (2011)–अपराध बनाम महिलाएँ खुशी प्रकाशन, दिल्ली।
4. डॉ. ममता (2010)– घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रो आभा एव आहूजा प्रकाशन दिल्ली।
5. सक्सेना एस.सी (1992) श्रम समस्या एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड मेरठ।
6. शुक्ला स्वाती (2012) रीवा जिले में घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन कौटिल्य शोध पत्रिका रीवा ।
7. नामदेव, दया (2013) ''कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं में घरेलू हिंसा का कारण और निवारण'' अप्रकाशित लघुशोध अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
8. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मैनुअल, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार–1978
9. विकास मिश्रा (2015) ''कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन : रीवा जिले के विशेष संदर्भ में'' अप्रकाशित लघु शोध, अ0प्र0सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
10. पाण्डेय, विमल चन्द्र– भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास हिन्दुस्तान एकेडमी इलाहाबाद
11. मुखर्जी, रवीन्द्र नाथ (1981), भारतीय समाज व संस्कृति विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली
12. सिंह एवं मल्होत्रा, ''समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति'' भारतीय विद्याभवन, वाराणसी
13. स्टार समाचार पत्र सतना, 13 जून 2017, पेज नं0 4